इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 जनवरी 2012—पौष 15, शक 1933

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2012

क्र. एफ 22-23-2011-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212(1), (2) एवं धारा 111(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 164 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है. मोटरयान अधिनियम की धारा 212(1) द्वारा अपेक्षित तदाशय का मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन क्रमांक 544, दिनांक 30 नवम्बर 2011 द्वारा किया जा चुका है;

मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 का नियम 164 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"(164) दरवाजों की चौड़ाई तथा आपात्कालीन निर्गम खिड़की/दरवाजा लगाना":—

(1) प्रत्येक लोक सेवा यान, निजी सेवा यान, ठेका गाड़ी तथा शैक्षणिक संस्थानों के यानों में कम से कम 53 सेंटीमीटर चौड़ाई और पर्याप्त ऊंचाई वाले प्रवेश और निर्गम के लिये पृथक्-पृथक् दरवाजे लगाये जायेंगे, जो कि यान के बांयी ओर स्थित रहेंगे:

परन्तु उक्त उपबंध किसी मोटर कैब, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के अधीन निर्मित किसी यान तथा बत्तीस और उससे कम (चालक, परिचालक को छोड़कर) बैठक क्षमता वाले यानों पर लागू नहीं होंगे.

(2) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के अधीन निर्मित वाहनों से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान, निजी सेवायान, ठेका गाड़ी तथा शैक्षणिक संस्थानों के यानों में, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 (4) में यथा उपबंधित विशिष्ट निर्देशों वाली आपात्कालीन निर्गम खिड़की या आपात्कालीन दरवाजा लगाया जाएगा, जो वाहन के पश्चभाग अथवा दाहिने ओर स्थित होगा.

No. F 22-23-2011-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 212(1), (2) & Section 111(1) of the Motor Vehicles Act, 1988, the State Government, hereby, substitutes Section 164 of the Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules,1994 as under. The same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette No. 544 on 30th November 2011 as required by sub-section (1) of the Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 ;

In the Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994, for Rule 164, the following rule shall be substituted, namely:—

"164. Width of Doors and Fitment of Emergency exit Window/door":—

(1) Every public service vehicle, private service vehicle, contract carriage and educational institution vehicle shall be fitted with separate entrance and exit doors located on the left side of the vehicle, and having at least 53 centimeters width and of sufficient height:

Provided, that the said provision shall not apply to a motor cab, a vehicle constructed under rule 128 of the Central Motor Vehicle Rules 1989, and a vehicle having thirty-two or less seating capacity (excluding driver and conductor).

(2) Every public service vehicle, private service vehicle, contract carriage and educational institution vehicle other than those constructed under rule 128 of Central Motor Vehicles Rules, 1989, shall be fitted with either an emergency exit door or an emergency exit window located in the back or right side of the vehicle having specifications as provided under rule 128(4) of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.